न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक

वादी लक्ष्मीदेवी बनाम प्रतिवादी सरकार

मुकदमा संख्या / वर्ष : 24 / 2021

क्र0 सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10/4/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. है। वकील वादी को तलबाना समन पेश करने हेतु अनेक अवसर देने के बावजूद भी तलबाना समन पेश न करने के कारण वादी का वाद 0925 पत्रावली से खारिज किया जाता है। पत्रावली बोसल खाने में रखी जावे। आज का आदेश खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2023.09.26 12:13:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned with CamScanner